

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)  
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरडक, आर०ए०एस०

अपील संख्या 55/2019

1- रामचन्द्र पुत्र लादुराम जाति जांगिड़ निवासी गौरव पथ, लाडनूं तहसील लाडनूं  
जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1- राजस्थान सरकार, जरिये पटवारी हल्का लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर  
राज0।

2- तहसीलदार लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोजेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

1-श्री शेरसिंह जोधा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरुद्ध आदेश मुकदमा नम्बर 24/2017 बअनुवान राज्य  
सरकार जरिये पटवारी हल्का लाडनूं बनाम रामचन्द्र निर्णय दिनांक 10.04.  
2019 अज अदालत तहसीलदार लाडनूं को अपास्त करने बाबत।

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक:07.12.21

{1} -यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के  
अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 24/2017 बअनुवान पटवारी हल्का  
लाडनूं बनाम रामचन्द्र में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 के विरुद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लाडनूं ने  
अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)




निवेदन किया कि अपीलान्त/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 14-18 बीघा भूमि किस्म गैर मु0 खड्डा में से रकबा 00.03 बीघा भूमि पर संवत् 2074 में अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा ~~कारखाना~~ बनाकर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त/अप्रार्थी द्वारा मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 00.03 बीघा किस्म गैर मु0 खड्डा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्त/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 00.03 बीघा गैर मुमकिन खड्डा से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर 0.45 रुपये के 50 गुणा से जुर्माना रुपये 4/- अक्षरे चार रुपये कायम किया गया।

{3} -अपीलान्त ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :-

{3}(1)-यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) -यह है कि चुनौतिग्रस्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.4.2019 को पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी को उसके प्रकरण में सम्पूर्ण पक्ष रखने एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर बिना कोई गोर फरमाये ही तथा बिना अपीलार्थी का पक्ष सुनने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो




  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.04.2019 निरस्त फरमाया जाने योग्य है।

{3}(3) - यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने जबाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न फेरियस्त दस्तावेज के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा कयसूदा भूमि का इमारती पट्टा तत्कालीन जागीरदार ठिकाना लाडनूं द्वारा सम्वत 2000 का पोष बदी 13 का फलावट 5850 वर्गगज का सरावगी गंगवाल बच्छराज घमण्डीराम बेटा पोता सुखेव के नाम से जारी किया हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र संख्या प-6"42" राजस्थान 58 दिनांक 05.01.1993 के पैरा संख्या 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि तत्कालीन जागीरदार द्वारा जिस किसी भी भूमि को आबादी भूमि के रूप में हस्तान्तरित कर दिया गया है उसके संबंध में रेवेन्यू एक्ट के तहत किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं उठाया जा सकता। उपरोक्त पट्टाधीन भूमियां आबादी कस्बा लाडनूं की भूमियां हैं जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार से कोई भी अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही करने का अधिकारीता व क्षेत्राधिकार न होते हुए भी उपरोक्त आलौच्य आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(4) - यह है कि उपरोक्त प्रार्थी अपीलार्थी की कब्जासूदा भूमि को प्रार्थी अपीलार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.12.2005 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 199 पृष्ठ संख्या 186 क्रम संख्या 2005001079 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 के जिल्द संख्या 225 के पृष्ठ संख्या 239 से 247 पर चस्पा किया गया है जो उप पंजीयक कार्यालय लाडनूं में पंजीबद्ध द्वारा फलावट 3510 वर्गफुट भूमि है जो विक्रेता निर्मला देवी पत्नी शुभकरण जाति माली निवासी लाडनूं से खरीदसूदा है। विक्रेता निर्मला देवी ने अपीलार्थी के पक्ष में विक्रय पत्र संख्या 1079/2005 का निष्पादन करवाया था। जिस पर कय दिनांक से ही प्रार्थी अपीलार्थी का साधिकार कब्जा अधिपत्य चला आ रहा होते




  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

हुए भी उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज फरमाया जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(5) – यह है कि उपरोक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश से संबंधित भूमि जो प्रार्थी की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदसूदा भूमि होकर आबादी की भूमि है जिस पर निर्माण बाबत दिनांक 10.3.2005 को स्थानीय निकाय नगरपालिका लाडनूं में तामीर स्वीकृति पेटे राशि जमा करवाकर गत विक्रेता निर्मला देवी पत्नी शुभकरण ने निर्माण स्वीकृति भी प्राप्त की थी एवं आज दिन अपीलार्थी अपने व्यवसाय तथा आवास के रूप में उपरोक्त क्यसूदा जायगा का निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग वर्षों से करता आ रहा है। जो उपरोक्त अपीलार्थी के विरुद्ध पारित आलोच्य अपीलाधीन आदेश पूर्णतया गलत होकर खारिज फरमाया जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(6)– यह है कि अपीलार्थी की उपरोक्त खरीदसूदा भूमि के संबंध में तत्कालीन तहसीलदार भू.अ. की हैसियत से पत्र क्रमांक भू.अ.2011/596-637 दिनांक 14.03.2011 को एक नोटिस प्रेषित करवाया जाकर खसरा नम्बर 1639 राजकीय भूमि में काबिज होने के सबूत प्रस्तुत करने बाबत मांग की थी तब प्रार्थी द्वारा तहसीलदार भू.अ. लाडनूं के पत्र क्रमांक भू.अ.2011/596-637 दिनांक 14.03.2011 का एक प्रत्युत्तर दिनांक 24.03.2011 को प्रस्तुत किया गया था उपरोक्त प्रत्युत्तर में प्रार्थी अपीलार्थी ने स्वयं अकेले व एक अन्य भूखण्ड उपरोक्त क्यसूदा भूमि से चिपता हुआ भूखण्ड जो कि विक्रय पत्र 09.07.2004 का स्वयं अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी चंचल देवी का दिनांक 09.07.2004 को संयुक्त रूप से खरीदसूदा था जो कुल क्षेत्रफल 4270.50 वर्गफुट का था का जवाब मय फरियस्त दस्तावेज नग 17 सहित दिनांक 24.03.2011 को प्रस्तुत कर दिया था। उपरोक्त जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपीलार्थी ने निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी अपीलार्थी एवं मेरी पत्नी चंचल देवी द्वारा खरीदसूदा भूमि तत्कालीन जीरदार ठिकाना लाडनूं के द्वारा जारी इमारती पट्टा 01 विक्रम सम्वत 2000 का पोष बदी 13 का फलावट 5850 वर्गगज का गंगवाल बच्छराज घमण्डीराम के नाम बना हुआ है का




  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

भू भाग है जो प्रार्थी अपीलार्थी की उपरोक्त आबादी भूमि तत्कालीन जागीरदार द्वारा प्रदान आबादी पट्टा का भू भाग होते हुये भी उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित किया है जो आलोच्य आदेश खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

[3](7) - यह है कि उक्त आलोच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो उक्त अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पदेन उप पंजीयक के रूप में भी कार्य करते हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान तथा पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपरोक्त आलोच्य आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 1639 से सम्बन्धित भूमियों का पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनेकों पक्षकारों द्वारा समय समय पर हस्तान्तरित की जाकर विक्रय विलोखों की पंजीबद्ध किया जा चुका है एवं उपरोक्त विक्रय विलेखों के निष्पादन एवं पंजीबद्ध के समय अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पदेन उप पंजीयक के तौर पर हस्तान्तरित भूमियों का मौका निरीक्षक भी समय समय पर किया गया एवं उक्त मौका निरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अतिक्रमण सम्बन्धी रिपोर्ट उपरोक्त खसरा नम्बर 1639 के आबाद व्यक्तियों के विरुद्ध कभी भी नहीं की गयी है। उक्त अतिक्रमण सम्बन्धी रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा आपसी द्वेषता से ग्रसित होकर निराधार तथ्यों व कपोल कल्पित आधारों पर गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जिस पर अपीलार्थी द्वारा मय फेरियस्त दस्तावेज जबाब प्रस्तुत करने के बावजूद भी अपीलार्थी के उक्त जवाब एवं फेरियस्त दस्तावेजों पर बिना कोई गोर फरमाये ही प्राकृतिक न्याय व विधि की मंशा के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।


[3](8) - यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय आदेश में भू अभिलेख की हैसियत से जारी आदेश पत्रांक भू0अ0/2017/1032-1038 दिनांक 08.4.2017 के तहत गठित टीम द्वारा किये गये सीमाज्ञान रिपोर्ट को भी आधार

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना (नारौर)

माना है जबकि उपरोक्त सीमांज्ञान हेतु गठित टीम के समक्ष प्रार्थी अपीलार्थी ने अपनी अधिकारिता कब्जा अधिपत्य सूदा भूमि के सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे जो कि उक्त सीमांज्ञान टीम की रिपोर्ट में भी वर्णित किया गया है कि प्रार्थी अपीलार्थी अपने मालिकाना दस्तोजों के अनुसार मौके पर काबिज है एवं प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के आदेश से उपरोक्त खसरान भूमि को समय समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पक्ष में उपरोक्त खसरान भूमि 1639 में से अधिकांश भूमियां गैर मुमकिन आबादी दर्ज होने का आदेश भी प्रस्तुत किया था जो कुछ भूमियां आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं है जिसके बावजूद भी उपरोक्त सीमांज्ञान रिपोर्ट को आधार मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्त होने से खारिज फरमाया जावे।

[3](9) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.04.2017 के आधार पर उक्त अतिक्रमण संबंधी प्रकरण दर्ज कर उक्त बेदखली को आलौच्य आदेश प्रदान किया है जो हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी अपने आप में विरोधाभाषी कथन का वर्णन कर रही है उक्त रिपोर्ट में हल्का पटवारी द्वारा सम्वत 2074 में अपीलार्थी द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण करना बताया है तथा उक्त रिपोर्ट में भी अतिक्रमण पुराना होने का कथन किया है जो अपने आप में विराधाभाषी कथन है जबकि अपीलार्थी द्वारा एवं अपीलार्थी से पूर्व जो भी क्रेतागण उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन रही भूमि के भू स्वामी रहे है उनके द्वारा उक्त क्यसूदा भूमि में पक्के रहवासीय मकानात का निर्माण कर रखा है जो वर्षो पुराना है। प्रार्थी अपीलार्थी को बिना किसी वजह ही हैरान व परेशान करने की नियम से उपरोक्त आलौच्य आदेश अधीन प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाये जाने योग्य है।


[3](10) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका क्षेत्र लाडनूं के अधीन आने वाली

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना (नागर)



खसरान भूमियां जो रा.भू.रा.अ. के प्रावधानों के विपरीत उपयोग उपभोग में की जा रही थी को पुर्नग्रहित कर तत्कालिक खातेदारों अधिकारों को प्रयावसित कर भूमि को पुर्नग्रहित कर स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं के नाम दर्ज करवाये जाने की आम सूचना अपने पत्र क्रमांक 3691 दिनांक 27.01.2000 के द्वारा प्रकाशित करवाई थी उक्त नोटिस प्रकाशन में भी कस्बा लाडनूं के राजकीय भूमिया के खसरान भूमियों का प्रकाशन कराया गया था जो उक्त प्रकाशन में खसरा नम्बर 1639 की भूमि का प्रकाशन नहीं किया गया था चूंकि उक्त भूमि आबादी की भूमि होना स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं द्वारा माना गया था एवं उपरोक्त खसरा नम्बर में अधिकाश रहवास निवास करने वाले लोगों को स्थानीय निकाय द्वारा निर्माण की अनुमति/तामिर निर्माण की अनुमति/स्वीकृति तथा मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली पानी सड़क आदि निर्माण कार्य की स्वीकृति/अनापति भी स्थानीय निकाय द्वारा समय समय पर प्रदान की जाती रही है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थानीय निकाय की स्वीकृति से पक्के निर्माणात कर रहवास एवं निवास करने वाले अपीलार्थी के अलावा अन्य लोगों के विरुद्ध भी अतिक्रमण संबंधि प्रकरण दर्ज कर बेदखली की कार्यवाही की गयी है, जिससे भी उक्त आलौच्य अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

[3](11) - यह है कि स्थानीय निकाय द्वारा उपरोक्त पटटाधीन भूमियों में रहवास एवं निवास कर रहे व्यक्तियों से गृहकर के रूप में राशि भी वसूल समय समय पर की जाती रही है जो अपीलार्थी सहित अन्य उपरोक्त खसरान भूमि खसरा नम्बर 1639 में रहवास निवास कर रहे अड़ौस पड़ौस के व्यक्तियों द्वारा भी समय समय पर गृहकर रूप में स्थानीय निकाय को राशि अदा की जाती रही है। सहवन से उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों की गलती से गैर मुमकिन खडडा दर्ज हो रखी है जो कि पूर्णतया गलत दर्ज हो रखी है एवं उक्त राजस्व कर्मचारियों की भूल के आधार पर उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन खसरा नम्बर भूमि में रहवास एवं निवास कर रहे अपीलार्थी सहित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अधीनस्थ

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना (नाथूर)




न्यायालय ने अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो शुरू से खारिज फरमाया जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

{3}(12) - यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलौच्य आदेश की जानकारी होते ही अविलम्ब प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर अन्य सुसंगत दस्तावेज जो कि प्रार्थी अपीलार्थी के वैद्य कब्जा आधिपत्य से संबंधित है को प्राप्त कर जानकारी तिथि से अविलम्ब अन्दर मियाद ही उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है एवं उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश के पारित करने की दिनांक एवं जानकारी तिथि से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में लगे समय को कण्डोन किया जाना न्याय संगत है जो उपरोक्त निर्णय से जानकारी होने से उसी रोज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रतियां हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था एवं बाद प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर उपरोक्त अपील प्रार्थी अपीलार्थी को विधिक रूप से प्राप्त अपीलार्थी अधिकारों के तहत प्रस्तुत की जा रही है जो उपरोक्त समयावधि के कण्डोन हेतु मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब मय फेरियस्त दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई गौर फरमाये ही उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{4} उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील दिनांक 11.07.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्त की अपील को दिनांक 15.07.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड उनके पत्र क्रमांक 714 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा प्राप्त हुआ।




  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवणा (नगर)

{5}- अपीलान्ट ने दिनांक दिनांक 03.8.21 को प्रार्थना पत्र बाबत क्षेत्राधिकार पेश कर निवेदन किया की मातहत अदालत तहसीलदार लाडनूं द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में बेदखली आदेश पारित करने से पूर्व यह विचार नहीं किया कि विवादित भूमि का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है या नहीं? इस बिन्दू पर प्राथमिक रूप से बहस सुनी जाकर क्षेत्राधिकार के बिन्दू को निर्धारित निर्णय पश्चात ही अपील को अंतिम रूप से गुणावगुण के आधार पर सुनवाई करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट ने दिनांक 10.8.21 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01नियम 10 (2)सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं को पक्षकार बनाने का पेश कर निवेदन किया। तथा इसी दिन एक और प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. भी पेश किया ।

अपीलान्ट की उक्त तीनों प्रार्थना प्रार्थना की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का व तीनों प्रार्थना पत्रों का अवलोकन व मनन करने के उपरान्त प्रार्थी के तीनों प्रार्थना पत्र (1)क्षेत्राधिकार (2) अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. तथा (3) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानी निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं को पक्षकार बनाने बाबत सारहीन होने से खारिज किये गये।

{6} प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि में ही पेश की गयी है। अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11.7.2019 को प्रस्तुत की है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.4.2019 को किया गया था। इस न्यायालय में अपील पेश करने की सीमा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से एक माह की होती है। अपीलान्ट ने अपील समय सीमा के बाद प्रस्तुत की तथा संलग्न धारा 5


  
अतिरिक्त जिला क्लर्क  
डीडवाना (नागर)

लिमिटेड एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। अपीलान्त के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को आधार मानकर अपीलान्त की अपील पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुवे अपील को अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं ।

[7]— वकील अपीलान्त की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्त ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे तर्क दिया है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी में पूर्णरूप से आबादी बस चुकी है तथा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से आबादी भूमि के रूप में खरीद की गयी है। निर्माण कार्य हेतु विधिवत रूप से नगरपालिका लाडनू से अनुमति लेकर ही निर्माण किया गया है अतः अपीलार्थी के विरुद्ध तहसीलदार लाडनू द्वारा अतिक्रमण हटाने की, की गयी कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलान्त की अपील स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस तथ्यों को दोहराते हुवे अन्त यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी आधार पूर्ण रूप से अपीलान्त के पक्ष में होने से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनू द्वारा मुकदमा संख्या 24/17 बअनुवान हल्का पटवारी लाडनू बनाम रामचन्द्र में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2019 को खारिज फरवाने का आदेश प्रदान करावें।

[8] — बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार लाडनू द्वारा कमेटी गठित कर रिपोर्ट प्राप्त की गयीं। तहसीलदार लाडनू से प्राप्त दिनांक 01.06.2021 की वर्तमान मौका जांच रिपोर्ट अनुसार विचाराधीन भूमि कस्बा लाडनू के पुराना खसरा नम्बर 1639 गै.मु. में वर्तमान में 10 खसरों में विभाजित ऑनलाईन तरमीम हो चुका है जिसमें 09 खसरे गै.मु. आबादी खातेदानों के नाम से दर्ज व नक्शा तरमीम हो चुके हैं। इस प्रकरण में




  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना (नाौर)

धारा 91 के प्रकरण सम्बन्धी रामचन्द्र पुत्र लादूराम जांगीड़ का 03 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण नोटिस तहसील कार्यालय द्वारा हल्का पटवारी द्वारा जारी किया गया है। रामचन्द्र जांगीड़ का मौका जांच की गई व वर्तमान राजस्व रेकोर्ड आनलाईन के बाद की स्थिति व अतिक्रमी रामचन्द्र से अपनी कब्जा भूमि का साक्ष्य मांगा गया जिसके आधार से अतिक्रमण भूमि पर काबिज हुआ है। मौके पर रामचन्द्र जांगीड़ उपस्थित मिला व साक्ष्य रिकोर्ड मांगने पर रामचन्द्र जांगीड़ ने अपनी भूमि को पुराना पट्टा से क्रय शुदा रजिस्टर्ड भूमि बताया गया जो आबादी भूमि के मध्य में स्थित है। रजिस्ट्री की प्रति, नगरपालिका की अनापत्ति व टैक्स रसीद पेश की गई व पुराने राजस्व रिकॉर्ड गिरदावरी सैटलमेन्ट से पूर्व की सन् 2012 से 2016 तक की पेश की गई जिसमें रामचन्द्र पुत्र लादूराम जांगीड़ की भूमि खसरा गै0मु. 1639 रकबा 31.06 बीघा में 13.06 गै.मु. भूमि खातेदार कृषक को 06 घनश्यामलाल पुत्र चुन्नीलाल महाजन के नाम कृषि काश्त भूमि में से रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि का पुराना पट्टा 5800 वर्गगज में आबादी में से क्रय शुदा भूमि है। वर्तमान में सैटलमेन्ट के बाद सन् 2021 से उक्त भूमि गै.मु. खड्डा 31.06 भूमि दर्ज हो चुकी है। जो वर्तमान में 11.06 बीघा भूमि गै.मु. खड्डा है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार श्री रामचन्द्र पुत्र लादूराम जांगीड़ भूमि नया ख0न0 2636/1639 गै.मु. खड्डा भूमि का हिस्सा है। वर्तमान राजस्व रिकोर्ड के अनुसार रामचन्द्र जांगीड़ का प्लॉट खसरा 2936/1639 गै0 मु0 खड्डा भूमि के हिस्से में लगता है।

तहसीलदार लाडनूं द्वारा पेश जांच रिपोर्ट के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जांच रिपोर्ट के साथ पेश नजरी नक्शा अनुसार अपीलान्ट का भूखण्ड गै0मु0 आबादी भूमि ख0 नं0 2292/1639 एवं 3010/1639 के बीच में दर्शित है साथ ही इस भूमि को खातेदार कृषक घनश्यामलाल पुत्र चुन्नी लाल महाजन के नाम कृषि काश्त भूमि में से क्रय शुदा भूमि होना होना अंकित किया है। इस प्रकार तहसीलदार लाडनूं द्वारा पेश मौका रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश दस्तावेजात एवं नवीनतम राजस्व रेकर्ड यथा



  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
डी.बाना (नागर)

जमाबन्दी, नक्शा ट्रेष व तरमीम की वास्तविक स्थिति की जाँच की जानी आवश्यक है।

:::: आदेश ::::


अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.04.2019 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडनूं को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि सभी दस्तावेजात का सही सही पुनः परीक्षण, जाँच एवं विश्लेषण कर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।



  
(रिछपाल सिंह बुरड़क)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
डी.डी.बाना (सांगौर)

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(रिछपाल सिंह बुरड़क)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
डी.डी.बाना (सांगौर)